दिनांक–09.01.2016 को समाहर्त्ता महोदय की अध्यक्षता में हुए भू–अर्जन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति

1. समाहर्त्ता, पटना।
2. अपर समाहर्त्ता, पटना।
3. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना।
4. श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना।
5. श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्र, अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना।
6. अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी।
7. अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़
8. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी।
9. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर।
10. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी।
11. उप महाप्रबंधक(तक0) पी0आई0यू0, समस्तीपुर BSRDCL
12. श्री खुर्शीद करीम, Manager (Tech), BSRDCL बख्तियारपुर–ताजपुर प्रोजेक्ट।
13. श्री आलोक कुमार, D.G.M, BSRDC, P.I.U.Biharsarif
14. श्री जितेन्द्र कुमार शाही, Manager (Tech) BSRDCL, Biharsarif
15. श्री संजय शर्मा, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल औरंगाबाद।
16. श्री विनय कुमार शर्मा, अपर महाप्रबंधक (मा0स0) एन0टी0पी0सी0, बाढ़।
17. श्री के0एल0के0 शर्मा, प्रबंधक (मा0स0) एन0टी0पी0सी0, बाढ़।
18. श्री राजेश, प्रबंधक (R&R) एन0टी0पी0सी0, बाढ़।

समाहर्त्ता पटना द्वारा जिला भू–अर्जन शाखा से संबंधित विभिन्न भू–अर्जन परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।

(i) बिहटा–सरमेरा SH–78

बिहटा–सरमेरा प्रोजेक्ट में मुआवजा भुगतान किये जाने के संबंध में समीक्षा की गई। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आलोच्य सप्ताह में 6 करोड़ 18 लाख रूपये का भुगतान हेतु रैयतों के खाते में RTGS द्वारा किया गया। मुआवजा का भुगतान कम होने के कारण समाहर्त्ता द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। दो–तीन दिन में 20–20 प्रतिशत राशि कोषागार से निकासी कर अगले सप्ताह में सभी लम्बित मुआवजा राशि का भुगतान करने का निदेश दिया गया।

बकास्त मालिक भूमि के संबंध में DCLR मसौढ़ी, पटना सिटी, दानापुर एवं बाढ़ से प्रगति की समीक्षा की गई। संबंधित DCLR को अविलम्ब बकास्त भूमि की जांच कर जिला भू–अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। अंचलवार एवं ग्रामवार बकास्त भूमि की सूची बनाने का निदेश दिया गया है। बकास्त भूमि का कितना मामला कहाँ पर लम्बित है इस संबंध में अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को सभी DCLR से समन्वय स्थापित कर लगातार मोनेटरिंग करने का निदेश दिया गया। DGM PIU बिहार शरीफ को भी DCLR से संपर्क में रहकर कार्य करने का निदेश दिया गया।

बिहटा–सरमेरा SH-78 परियोजना की महत्ता को देखते हुए संबंधित क्षेत्र के SDO एवं DCLR को भी सक्रिय रहने का निदेश दिया गया।

(ii) बख्तियारपुर से ताजपुर एन0एच0–31 से 28 को जोड़ने वाली रा0उ0पथ निर्माण

अथमलगोला अंचल में करजान गांव से ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर बन रहे पुल परियोजना की समीक्षा की गई। परियोजना का लगातार समीक्षा से मुआवजा भुगतान के बिन्दु पर काफी प्रगति हुई है। अनुमण्डल पदाधिकारी बाढ़ एवं DCLR बाढ़ के प्रयास से भू–धारियों को मुआवजा

भुगतान किया जा रहा है। अंचलाधिकारी अथमलगोला के द्वारा ग्रामिणों से 80 आवेदन प्राप्त कर जिला भू–अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है जिसमें से 41 आवेदन पर कार्रवाई की गई है शेष आवेदन पर शीघ्र बंध पत्र उपलब्ध कराते हुए भुगतान करने का निदेश दिया गया।

मौजा–कल्याणपुर पार्ट–2 का 20% शीघ्र मुआवजा भुगतान प्रारंभ करने का निदेश दिया गया। मौजा–रामनगर करारी कछार, बहादुरपुर, जमालपुर बडहिया एवं जिन ग्रामों में मुआवजा का भुगतान हो चुका है उसमें अविलम्ब कार्य प्रारंभ कराने हेतु परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

(iii) <u>एन0एच0–98 फोर लेन (अनिसाबाद–अरवल–हरिहरगंज)</u>

श्री संजय शर्मा, सहायक अभियन्ता एन0एच0–98 के द्वारा बताया गया कि परियोजना के शुरूवाती ग्राम में मुआवजा का भुगतान तेजी से करने एवं मौजा–भुसौला दानापुर एवं मुरादपुर में सरकारी भूमि (कैसरे हिन्द) का हस्तांतरण की कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया। सहायक अभियन्ता द्वारा परियोजना अन्तर्गत छुटे हुए प्लॉट का 3G (प्राक्कलन) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस बिन्दु पर सहायक अभियन्ता को जिला भू–अर्जन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निदेश दिया गया।

(iv) <u>एन0एच0–30A (दनियावॉ–हरनौथ–बाढ़)</u>

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को एन0एच0–30A परियोजना की अद्यतन समीक्षा कर मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निदेश दिया गया। अगले सप्ताह में 30 से 40 रैयत को मुआवजा का भुगतान करने का लक्ष्य रखा गया है। Co, बेलछी को आवेदन पत्र प्राप्त कर जिला भू–अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(v) <u>एन0टी0पी0सी0 बाढ़</u>

अपर महाप्रबंधक एन0टी0पी0सी0 बाढ़ के द्वारा ऐश डाईक के लिए मौजा–शेखपुरा भाग–3 में भू–धारियों को 20% मुआवजा का भुगतान करने एवं मेकअप वाटर पम्प हाउस निर्माण से संबंधित मौजा–दरियापुर ढ़ीवर के भू–धारियों को अवशेष 20% मुआवजा राशि के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया। इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह0/–

समाहर्त्ता,
पटना।

ज्ञापांक 138 /भू–अर्जन, दिनांक 13-01-2016

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, पटना/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना/अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना/अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़, पटना सिटी, दानापुर, मसौढ़ी, पालीगंज, पटना सदर/D.C.L.R, मसौढ़ी/D.C.L.R, बाढ़/D.C.L.R, दानापुर/D.C.L.R, पटना सिटी/D.C.L.R, पटना सदर/सभी अंचलाधिकारी, पटना जिला/सहायक अभियंता, N.H.-98, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल औरंगाबाद/उप महाप्रबंधक, (तक0) P.I.U, बिहारशरीफ/उप महाप्रबंधक, P.I.U समस्तीपुर BSRDCL/प्रबंधक(तक0) बख्तियारपुर–ताजपुर प्रोजेक्ट BSRDCL, समस्तीपुर/AGM Navayuga Engg. Co. Ltd/ अपर महाप्रबंधक एन0टी0पी0सी0, बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर पटना को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर डालने के लिए प्रेषित।

12/1

समाहर्त्ता,
पटना।

C:\Users\manoj\Links\Proceeding.docx55